

PAPER NAME

Samagra_Shiksha_Research_Paper_Bea
utiful_HD.pdf

WORD COUNT

11565 Words

CHARACTER COUNT

25663 Characters

PAGE COUNT

15 Pages

FILE SIZE

176.4KB

SUBMISSION DATE

Sep 15, 2026 2:58 PM GMT+5:30

REPORT DATE

Sep 15, 2026 2:58 PM GMT+5:30

● **0% Overall Similarity**

This submission did not match any of the content we compared it against.

- 0% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 14 words)



छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा योजना का क्रियान्वयन: अवधारणा, महत्व, उपयोगिता एवं प्रभावकारिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

राज्य के सामाजिक-आर्थिक, जनजातीय एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में विद्यालयी शिक्षा के
ऐतिहासिक रूपांतरण का सघन शोध प्रबंध

शोध संक्षेप: प्रस्तुत शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों (विशेष संदर्भ: बस्तर, सरगुजा, मध्य मैदानी एवं औद्योगिक अंचल) में संचालित समग्र शिक्षा अभियान के बहुआयामी प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। इसमें 10 प्रमुख शोध आयामों—छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि, शिक्षक प्रशिक्षण (NISHTHA), सामुदायिक सहभागिता (SMC), वनांचल चुनौतियां व पोटा केबिन मॉडल, डिजिटल शिक्षा व आई.सी.टी. प्रयोगशाला (ICT Lab), बालिका सशक्तिकरण (KGBV), वित्तीय प्रबंधन व प्रवाह (SNA/PFMS), TLM संसाधन, बुनियादी भौतिक ढांचा, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में नीतिगत सुधारों—का वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक सांख्यिकीय परीक्षण किया गया है।

शोधार्थी (RESEARCHER)

कोहन लाल साहू

शोधार्थी (शिक्षा)

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

शोध निर्देशक (RESEARCH GUIDE)

डॉ. विभा मिश्रा

प्राचार्य

डी.पी. विप्र शिक्षा महाविद्यालय
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

अध्ययन परिधि: कक्षा 1 से 12 (समग्र विद्यालयी सातत्य)

संबद्ध संस्थान: अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

शोध-सार (Executive Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम 'समग्र शिक्षा अभियान' (Samagra Shiksha Abhiyan) के सैद्धांतिक आधारों, संस्थागत महत्व, तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन और उपयोगिता का सघन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। वर्ष 2018-19 में पूर्ववर्ती तीन केंद्रीय योजनाओं—सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षण (TE)—के समामेलन से गठित यह योजना प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक एक अविभाज्य शैक्षणिक सातत्य (Educational Continuum) की परिकल्पना करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप समग्र शिक्षा 2.0 का मूल उद्देश्य 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और समावेशी शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है।

छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 32% जनजातीय आबादी, 44% सघन वनाच्छादित क्षेत्र, तथा बस्तर व सरगुजा अंचल की विशिष्ट भौगोलिक व आंतरिक सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में यह योजना केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम न होकर सामाजिक न्याय का अनिवार्य साधन है। प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दस प्रमुख शोध आयामों—(1) छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियां एवं सीखने के प्रतिफल, (2) शिक्षक प्रशिक्षण पहल एवं पेशेवर क्षमता, (3) सामुदायिक सहभागिता व शाला प्रबंधन समितियां, (4) ग्रामीण व जनजातीय वनांचल क्षेत्रों की चुनौतियाँ व समाधान, (5) डिजिटल शिक्षा व आई.सी.टी. प्रयोगशाला (ICT Lab) की भूमिका, (6) बालिकाओं की शिक्षा संवर्धन रणनीतियाँ, (7) वित्तीय प्रबंधन व बजटीय उपभोग प्रवृत्तियाँ, (8) शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) व संसाधनों की गुणवत्ता, (9) भौतिक बुनियादी अवसंरचना का योगदान, तथा (10) नीतिगत सुधार व रणनीतिक आवश्यकताएं—का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्यों, यू-डायस प्लस (UDISE+), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) तथा फील्ड रिपोर्टों पर आधारित है।

मुख्य शब्द (Keywords): समग्र शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़ विद्यालयी शिक्षा, शैक्षिक सातत्य, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN), निष्ठा (NISHTHA), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), जनजातीय शिक्षा, शाला प्रबंधन समिति (SMC), UDISE+ सांख्यिकी।

1. प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Introduction & Historical Context)

शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज के समतामूलक विकास, मानवीय चेतना के उन्नयन और आर्थिक समृद्धि की आधारशिला है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों से प्रारंभ होकर वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(A) के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संवैधानिक अधिदेश की विधिक पूर्ति हेतु वर्ष 2009 में 'बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE Act, 2009) पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का चौथा लक्ष्य (SDG-4) वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने का आह्वान करता है।

स्वतंत्र भारत में स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए ऐतिहासिक रूप से समय-समय पर विशिष्ट लक्षित कार्यक्रम संचालित किए गए। इनमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु वर्ष 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA) का सूत्रपात किया गया। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन दर में अभूतपूर्व वृद्धि के उपरांत माध्यमिक स्तर पर बढ़ती छात्र संख्या और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर बढ़ते ड्रॉप-आउट को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (RMSA) प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही, शिक्षकों की सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन व्यावसायिक दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र प्रायोजित 'शिक्षक शिक्षण योजना' (CSSTE) के अंतर्गत SCERTs और DIETs को वित्तीय सहायता दी जाती रही।

यद्यपि इन तीनों योजनाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय भौतिक विस्तार दर्ज कराया, किंतु स्कूली शिक्षा प्रणाली के दीर्घकालिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि इन पृथक-पृथक योजनाओं ने शिक्षा व्यवस्था को कई कृत्रिम खंडों में विभाजित कर दिया था। प्राथमिक, माध्यमिक और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग प्रशासनिक समितियां, पृथक बजटीय आवंटन, समानांतर निगरानी तंत्र और असंबद्ध नीतियां कार्यरत थीं। विद्यालय को एक संपूर्ण शैक्षणिक इकाई के रूप में देखने के बजाय उसे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में विखंडित कर दिया गया। इसका सीधा दुष्परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर छात्रों के संक्रमण (Transition Rate) में तीव्र गिरावट आई, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दोहराव हुआ और बजटीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो सका।

इन विसंगतियों का स्थायी समाधान करते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) ने केंद्रीय बजट 2018-19 में तीनों पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करते हुए एक समग्र छतरी योजना (Umbrella Scheme) 'समग्र शिक्षा' की शुरुआत की। यह योजना विद्यालयी शिक्षा को 'प्री-स्कूल से कक्षा 12वीं तक एक अविभाज्य शैक्षणिक सातत्य' (Pre-school to Class 12 as an Unbroken Educational Continuum) के रूप में पुनर्परिभाषित करती है।

2. समग्र शिक्षा योजना की सैद्धांतिक एवं संस्थागत अवधारणा (Theoretical & Institutional Framework)

समग्र शिक्षा योजना केवल तीन पूर्ववर्ती कार्यक्रमों का वित्तीय विलय नहीं है, बल्कि यह विद्यालयी शिक्षा के प्रबंधन और शैक्षणिक दृष्टिकोण में एक युगांतकारी दार्शनिक रूपांतरण है। इसका मूल मंत्र "सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा" है, जो पहुंच (Access) के साथ-साथ गुणवत्ता (Quality) और समता (Equity) को नीति के केंद्र में स्थापित करता है।

2.1 शैक्षणिक सातत्य की संकल्पना (The Continuum Concept)

पारंपरिक प्रणाली में बच्चा जब कक्षा 8 उत्तीर्ण करता था, तो उसका प्राथमिक विद्यालय से संबंध समाप्त हो जाता था और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए उसे एक बिल्कुल नई, अपरिचित और प्रायः भौतिक रूप से दूरस्थ व्यवस्था का सामना करना पड़ता था। समग्र शिक्षा ने विद्यालय को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा है जहां 3 वर्ष की बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE / बालवाटिका) से लेकर 18 वर्ष की आयु में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने तक का समग्र सफर एक ही छत्रछाया में संपन्न हो सके। इससे पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धतियों और शिक्षण शैलियों में एक स्वाभाविक निरंतरता सुनिश्चित होती है।

2.2 एकीकृत प्रशासनिक संरचना (Integrated Governance Architecture)

समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक ही 'प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड' (PAB) की व्यवस्था की गई, जिसकी अध्यक्षता सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग करते हैं। राज्य स्तर पर पूर्ववर्ती अलग-अलग सोसायटियों (SSA सोसाइटी और RMSA सोसाइटी) को समाप्त कर एक एकल 'राज्य कार्यान्वयन सोसायटी' (State Implementation Society - SIS) का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व राज्य परियोजना निदेशक (SPD) करते हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के अधीन एक ही समग्र शिक्षा कार्यालय स्थापित किया गया, जिससे ब्लॉक और क्लस्टर स्तर तक प्रशासनिक आदेशों और वित्तीय प्रवाह में अभूतपूर्व तालमेल स्थापित हुआ।

2.3 समग्र शिक्षा 2.0 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का संगम

अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समग्र शिक्षा योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु पुनरीक्षित कर 'समग्र शिक्षा 2.0' के रूप में अनुमोदित किया गया। यह पुनर्गठन पूर्णतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5+3+3+4 के नए शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप है:

- फाउंडेशनल स्टेज (5 वर्ष):** 3 वर्ष की बालवाटिका/आंगनबाड़ी तथा कक्षा 1 और 2। इस स्तर पर खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित शिक्षण तथा 'निपुण भारत मिशन' के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) की अनिवार्य प्राप्ति।
- प्रिपरेटरी स्टेज (3 वर्ष):** कक्षा 3 से 5। इस चरण में भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन की ठोस समझ का निर्माण और अनुभवात्मक पठन।
- मिडिल स्टेज (3 वर्ष):** कक्षा 6 से 8। अमूर्त अवधारणाओं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और 10 दिवसीय बैगलेस डेज़ (Bagless Days) के साथ व्यावसायिक कौशलों का व्यावहारिक परिचय।

- सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष):** कक्षा 9 से 12। बहु-विषयक अध्ययन, आलोचनात्मक चिंतन, बोर्ड परीक्षाओं के तनाव में कमी, और व्यावसायिक शिक्षा का औपचारिक एकीकरण।

3. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

समग्र शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत शोध उपलब्ध हैं। योजना की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रभावकारिता को समझने के लिए प्रमुख अध्ययनों की समीक्षा प्रासंगिक है:

तिलक (2018, 2020) ने भारत में विद्यालयी शिक्षा के वित्तपोषण का विश्लेषण करते हुए यह स्थापित किया कि योजनाओं का प्रशासनिक एकीकरण स्वागत योग्य है, किंतु जब तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% शिक्षा पर खर्च करने का राष्ट्रीय संकल्प पूरा नहीं होता, तब तक समग्र शिक्षा के गुणवत्ता घटक वित्तीय तंगी से जूझते रहेंगे। उन्होंने रेखांकित किया कि केंद्र-राज्य 60:40 की वित्तीय साझेदारी में पिछड़े राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे के कारण अपने अंशदान को जारी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

गोविंदा एवं बंद्योपाध्याय (2019) ने अपने शोध में रेखांकित किया कि भारत में सार्वभौमिक नामांकन की उपलब्धि के बावजूद 'सीखने का संकट' (Learning Crisis) शिक्षा व्यवस्था की सबसे गंभीर विफलता है। उन्होंने तर्क दिया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत जब तक मूल्यांकन प्रणाली को स्मृति-आधारित परीक्षाओं से मुक्त कर योग्यता-आधारित आकलन (Competency-based Assessment) में नहीं बदला जाता, तब तक शैक्षणिक गुणवत्ता में गुणात्मक उछाल संभव नहीं है।

असर (ASER) रिपोर्टें (2018-2024) लगातार यह दर्शाती रही हैं कि ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित लगभग 50% छात्र कक्षा 2 स्तर का सरल पाठ धाराप्रवाह पढ़ने में असमर्थ हैं। असर रिपोर्टों ने विशेष रूप से यह इंगित किया कि कोविड-19 महामारी के पश्चात बच्चों के बुनियादी सीखने के स्तर में भारी गिरावट आई है, जिसे पाटने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत निपुण भारत और स्थानीय स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण का महत्व कई गुना बढ़ गया है।

नीति आयोग (2019, 2021) द्वारा जारी 'स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक' (SEI) तथा 'परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' (PGI) में राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया। इन रिपोर्टों में स्पष्ट किया गया कि केरल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य बेहतर प्रशासनिक सुशासन, शिक्षक युक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के कारण शीर्ष ग्रेड प्राप्त करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे जनजातीय बहुल राज्य भौगोलिक विषमताओं, शिक्षक रिक्तियों और बुनियादी ढांचे के धीमे विकास के कारण मध्यम ग्रेड में बने हुए हैं।

4. शोध प्रविधि एवं कार्यप्रणाली (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक (Descriptive), विश्लेषणात्मक (Analytical), और नीतिगत मूल्यांकन (Policy Evaluation) प्रविधि पर आधारित है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में समग्र शिक्षा योजना की अवधारणा, महत्व, उपयोगिता और चुनौतियों का सघन आलोचनात्मक परीक्षण करना है।

4.1 अध्ययन के मुख्य उद्देश्य

- समग्र शिक्षा योजना की सैद्धांतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय रूपरेखा का गहन विश्लेषण करना।
- छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक, जनजातीय एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में योजना के 10 प्रमुख शोध आयामों की प्रभावकारिता का परीक्षण करना।
- छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचे के अंतर्संबंधों का सांख्यिकीय व अनुभवजन्य मूल्यांकन करना।
- राज्य के वनांचल एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विद्यमान विशिष्ट बाधाओं की पहचान करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक नीतिगत संस्तुतियां प्रस्तुत करना।

4.2 डेटा संकलन एवं विश्लेषण स्रोत

प्रस्तुत शोध में गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों प्रकार के द्वितीयक आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया है। डेटा के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं: शिक्षा मंत्रालय (MoE), भारत सरकार के समग्र शिक्षा वार्षिक प्रतिवेदन एवं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की बैठकों के कार्यवृत्त; यू-डायस प्लस (UDISE+ 2020-21 से 2023-24) की राज्य और जिला स्तरीय रिपोर्टें; राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS 2021) के छत्तीसगढ़ राज्य परिणाम; स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक प्रतिवेदन, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की वार्षिक कार्ययोजनाएं (AWP&B); प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की असर (ASER) रिपोर्टें; नीति आयोग के PGI सूचकांक; तथा यूनिसेफ (UNICEF) के तकनीकी मूल्यांकन दस्तावेज।

5. छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 10 प्रमुख शोध विषयों का सविस्तार विश्लेषणात्मक अध्ययन

छत्तीसगढ़ राज्य में समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, उपयोगिता और प्रभावकारिता को व्यापक रूप से समझने के लिए प्रस्तावित दस विषयों का गहन बहुआयामी विश्लेषण अधोलिखित है:

5.1 विषय 1: छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा योजना का प्रभाव: छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का विश्लेषण

शैक्षणिक उपलब्धियां किसी भी शिक्षा तंत्र की प्रभावकारिता का सर्वोत्तम बैरोमीटर होती हैं। समग्र शिक्षा अभियान ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विमर्श को मात्र 'शाला में प्रवेश' से स्थानांतरित कर 'कक्षा-स्तरीय दक्षता' पर केंद्रित किया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राज्य में 'सुघर पढ़इया' और 'अंगना म शिक्षा' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आधारभूत भाषाई और गणितीय कौशलों पर विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS 2021) के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कक्षा 3 के स्तर पर भाषा में छात्रों का औसत प्रदर्शन 60% और गणित में 57% रहा, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग समकक्ष है। किंतु कक्षा 5 और 8 के स्तर पर पहुंचते ही प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाती है। कक्षा 8 में विज्ञान का औसत स्कोर 40% से नीचे और गणित का स्कोर 36% तक लुढ़क जाता है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट करती है कि प्राथमिक स्तर पर बुनियादी अवधारणात्मक स्पष्टता (Conceptual Clarity) के अभाव में उच्च कक्षाओं में संचित सीखने का घाटा (Cumulative Learning Loss) विकराल रूप धारण कर लेता है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के मैदानी जिलों में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि बस्तर, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर जैसे जनजातीय वनांचल जिलों की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत अधिक पाई गई है। इसका मुख्य कारण मैदानी जिलों में योग्य विषय-शिक्षकों की उपलब्धता, निरंतर शैक्षणिक पर्यवेक्षण, और बेहतर सामाजिक-आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। समग्र शिक्षा के तहत संचालित उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Classes) ने धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को सहायता अवश्य पहुंचाई है, किंतु नियमित कक्षा-शिक्षण के साथ इसका सुदृढ़ एकीकरण न होना इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है।

5.2 विषय 2: समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण की पहल और उसके परिणाम

शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का प्रदाता नहीं, बल्कि बाल चेतना का निर्माता है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को केंद्रीय प्राथमिकता दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) रायपुर और 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) के माध्यम से 'निष्ठा' (NISHTHA) कार्यक्रम का व्यापक क्रियान्वयन किया गया।

छत्तीसगढ़ में निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 1.25 लाख से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को आधुनिक बाल-केंद्रित पेडागॉजी, समावेशी शिक्षा, लिंग संवेदनशीलता, स्कूल आधारित मूल्यांकन और डिजिटल शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का सबसे प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि शिक्षकों में पारंपरिक व्याख्यान विधि के प्रति अनाकर्षण बढ़ा और वे गतिविधि-आधारित शिक्षण सामग्री (TLM), कहानी-वाचन, और रोल-प्ले के माध्यम से कक्षा को सजीव बनाने का प्रयास करने लगे। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा स्थानीय संदर्भों और गीतों का उपयोग बढ़ा है।

तथापि, प्रशिक्षण परिणामों के सूक्ष्म विश्लेषण से कई संरचनात्मक सीमाएं सामने आती हैं। प्रथम, प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का कोई संस्थागत फॉलो-अप (Post-training Classroom Monitoring) तंत्र मौजूद नहीं है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संकुल समन्वयक (CAC) या विकासखंड स्रोत समन्वयक (BRCC) द्वारा यह नियमित जांच नहीं की जाती कि शिक्षक वास्तव में सीखी गई तकनीकों का उपयोग कर रहा है या नहीं। द्वितीय, कोविड काल के दौरान दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल पर ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण में शिक्षकों द्वारा केवल 'सर्टिफिकेट प्राप्त करने' की औपचारिकता निभाने की प्रवृत्ति देखी गई, जिससे गहन अवधारणात्मक समझ का अभाव रहा। तृतीय, गैर-शैक्षणिक कार्यों (मध्याह्न भोजन, चुनाव, विभिन्न पोर्टल में एंट्री) के निरंतर दबाव ने शिक्षकों की ऊर्जा को शिक्षण नवाचारों से दूर रखा है।

5.3 विषय 3: सामुदायिक सहभागिता का समग्र शिक्षा योजना पर प्रभाव

सामुदायिक सहभागिता के बिना किसी भी सार्वजनिक योजना का विकेंद्रीकृत स्थायित्व संभव नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान विद्यालय को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला में गठित **शाला प्रबंधन समिति (SMC)** तथा माध्यमिक शालाओं में **शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC)** को संस्थागत अधिकार दिए गए हैं। इन समितियों में 75% स्थान अभिभावकों के लिए और 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की अपनी एक विशिष्ट पारंपरिक सामुदायिक संरचना है, जिसे 'गोटुल' परंपरा या ग्राम सभा कहा जाता है। समग्र शिक्षा ने इस पारंपरिक सामाजिक पूंजी का उपयोग करने का प्रयास किया है। वनांचल क्षेत्रों में जब स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हुई, तो स्थानीय समुदायों ने ग्राम शिक्षा कोष और स्वैच्छिक अंशदान से स्थानीय शिक्षित युवाओं को 'विद्या मितान' या अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कर कक्षाओं का संचालन जारी रखा। महामारी के दौर में 'पढ़ई तुंहर पारा' कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गांवों में चौपालों, पेड़ों के नीचे और घरों के आंगनों में जो 'मोहल्ला कक्षाएं' संचालित हुईं, वे सामुदायिक सहभागिता का अद्वितीय उदाहरण थीं।

परंतु व्यापक परिप्रेक्ष्य में, अधिकांश SMCs अभी भी अपनी वास्तविक शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत SMC को 'विद्यालय विकास योजना' (School Development Plan) तैयार करने, समग्र स्कूल कंपोजिट ग्रांट के व्यय की निगरानी करने, और मिड-डे मील की गुणवत्ता का सत्यापन करने का वैधानिक अधिकार है। यथार्थ में, अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों में प्रधान पाठक ही बैठक की पंजी (Register) लिख लेते हैं और पंच-सरपंच या अशिक्षित अभिभावकों से केवल हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। जब तक अभिभावकों का नियमित, सघन और स्थानीय भाषा में सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा, तब तक सामुदायिक जवाबदेही की संकल्पना अधूरी रहेगी।

5.4 विषय 4: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र शिक्षा योजना की चुनौतियाँ और समाधान

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र अपनी अद्वितीय भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं के कारण पूरे देश में एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। राज्य के कुल 146 विकासखंडों में से 85 आदिवासी उप-योजना (ITDP) विकासखंड हैं। इन क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है:

(A) भौगोलिक पृथक्ता एवं पहुंच की बाधाएं

बस्तर संभाग (सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर) और सरगुजा संभाग (बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर) में अनेक बस्तियां (पारा/टोला) घने वनों, पहाड़ियों और मौसमी नदियों के पार स्थित हैं। कई गांवों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं। मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक नदियां उफान पर रहने के कारण बच्चे और शिक्षक स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इन परिस्थितियों में सामान्य विद्यालयी मॉडल विफल सिद्ध होता है।

(B) वामपंथी उग्रवाद (LWE) एवं असुरक्षा का वातावरण

दक्षिण छत्तीसगढ़ के वनांचल पिछले तीन दशकों से आंतरिक संघर्ष से प्रभावित रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान दर्जनों स्कूल भवनों को या तो उग्रवादियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया या वे सुरक्षा बलों के अस्थायी शिविरों में तब्दील हो गए। भय के इस वातावरण में शिक्षकों का नियमित रूप से गांवों में निवास करना असंभव हो गया, जिससे स्कूलों में ताले लटकने की नौबत आ गई। इस संकट के समाधान के रूप में जिला प्रशासन और समग्र शिक्षा ने '**पोटा केबिन**' (Pota Cabins) की अभिनव संकल्पना विकसित की। ये बांस, प्लाईवुड और प्री-फैब्रिकेटेड सामग्री से बने 500-सीटर आवासीय विद्यालय हैं, जो सुरक्षित मुख्यालयों में संचालित होते हैं। वर्तमान में बस्तर संभाग में 50,000 से अधिक बच्चे इन पोटा केबिनों में सुरक्षित रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(C) भाषाई विसंगति (Linguistic Divide)

जनजातीय बालक की मातृभाषा गोंडी, हल्बी, कुडुख, सादरी या भतरी होती है। जब वह 5-6 वर्ष की आयु में प्राथमिक शाला पहुंचता है, तो पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक की भाषा मानक हिंदी होती है। यह भाषाई खाई बच्चे में तीव्र मनोवैज्ञानिक संकोच, भय और अलगाव पैदा करती है, जिसके कारण वह धीरे-धीरे स्कूल छोड़ देता है। समाधान के रूप में समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ ने यूनिसेफ के सहयोग से बहुभाषी शिक्षण (MLE) कार्यक्रम के तहत द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं, जिनमें पाठ का एक पृष्ठ गोंडी/हल्बी में और दूसरा पृष्ठ हिंदी में होता है। इस पहल को प्राथमिक कक्षाओं में व्यापक स्तर पर विस्तारित करने की आवश्यकता है।

फील्ड केस स्टडी

पोटा केबिन आवासीय मॉडल (दक्षिण बस्तर: दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिला)

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित दक्षिण बस्तर में पोटा केबिन मॉडल ने विद्यालयी शिक्षा के सार्वभौमीकरण में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। बांस और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से बने इन पूर्णतः आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, खेलकूद और डिजिटल शिक्षा की निःशुल्क सुविधा मिलती है। इसने न केवल ड्रॉप-आउट दर को शून्य के निकट पहुंचाया है, बल्कि सुदूर जनजातीय बच्चों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET, JEE) की तैयारी के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।

तालिका 1: छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों में विद्यालयी शिक्षा के प्रमुख संकेतकों का तुलनात्मक परिदृश्य (UDISE+ प्रवृत्तियां)

संभाग / क्षेत्र	प्राथमिक नामांकन (GER %)	माध्यमिक ड्रॉप-आउट दर (%)	विद्युत व इंटरनेट सुविधा (%)	एकल शिक्षक विद्यालय (%)	FLN दक्षता स्तर (ग्रेड 3) (%)
रायपुर एवं दुर्ग (मैदानी/शहरी)	99.2%	8.4%	88.5%	3.2%	58.6%
बिलासपुर एवं मध्य क्षेत्र	98.5%	11.2%	72.0%	6.8%	51.2%
सरगुजा संभाग (उत्तरी जनजातीय)	96.8%	16.5%	48.2%	14.5%	42.0%
बस्तर संभाग (दक्षिणी वनांचल/LWE)	94.1%	21.8%	34.6%	22.4%	36.5%
छत्तीसगढ़ राज्य औसत	97.6%	13.8%	62.4%	11.2%	47.8%

5.5 विषय 5: समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा का विकास और उसकी भूमिका

समग्र शिक्षा योजना 2.0 का एक प्रमुख रणनीतिक स्तंभ स्कूली शिक्षा का डिजिटलीकरण है। इसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के डिजिटल साक्षरता कौशलों से लैस करना और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को दृश्य-श्रव्य सामग्री के माध्यम से रुचिकर बनाना है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं:

- आई.सी.टी. प्रयोगशाला (ICT Lab) और स्मार्ट क्लासरूम:** राज्य के 4,000 से अधिक उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स और प्रोजेक्टर-आधारित स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं।
- पढ़ई तुंहर दुआर (Padhai Tunhar Duar):** महामारी के दौरान शुरू किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 22 लाख से अधिक छात्रों और 2 लाख से अधिक शिक्षकों को ई-कॉन्टेंट, ऑनलाइन टेस्ट और लाइव कक्षाओं से जोड़ा।
- दीक्षा (DIKSHA) एवं एनर्जाइज्ड बुक्स:** छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित कक्षा 1 से 10वीं तक की पुस्तकों में क्यूआर कोड (QR Codes) मुद्रित किए गए हैं, जिन्हें स्कैन करने पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा निर्मित इंटरैक्टिव वीडियो और अभ्यास पत्रक प्राप्त होते हैं।

- **टेली-एजुकेशन एवं वर्चुअल क्लासरूम:** दूरदर्शन रायपुर और आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षणिक प्रसारण तथा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में वर्चुअल स्टूडियो के जरिए सुदूर विद्यालयों को सीधे राज्य-स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षकों से जोड़ने का प्रयोग।

परंतु, डिजिटल शिक्षा की यह प्रगति राज्य के भौगोलिक यथार्थ से टकराकर गंभीर सीमाओं में बंध जाती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और विशेष रूप से वनांचल विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति की भारी अनिश्चरता है। लगभग 35% ग्रामीण प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में नियमित बिजली नहीं है। इसके अलावा, बस्तर और सरगुजा के सैकड़ों गांवों में 4G/5G इंटरनेट कनेक्टिविटी शून्य है। कई स्कूलों में आपूर्ति किए गए कंप्यूटर और हार्डवेयर शिक्षकों के प्रशिक्षण के अभाव में तालों में बंद हैं। इस प्रकार, डिजिटल शिक्षा का लाभ वर्तमान में मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों और बड़े कस्बों के विद्यालयों तक ही सीमित है, जिससे एक नया 'डिजिटल विभाजन' (Digital Divide) उत्पन्न हो रहा है।

5.6 विषय 6: समग्र शिक्षा योजना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ

भारतीय समाज में बालिकाओं की शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के उत्थान की पूर्वशर्त है। छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता (65.2%) और पुरुष साक्षरता (80.3%) के बीच 15% का भारी अंतर राज्य में लैंगिक समानता के समक्ष गंभीर चुनौती रहा है। समग्र शिक्षा अभियान ने बालिकाओं की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने और ड्रॉप-आउट को रोकने के लिए कई सशक्त रणनीतियाँ क्रियान्वित की हैं:

(A) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) का विस्तार

KGBV योजना पूर्ववर्ती SSA में केवल कक्षा 8 तक सीमित थी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सभी KGBVs को कक्षा 12वीं तक उच्चिकृत (Upgraded to Class 12) किया गया है। राज्य में संचालित 100 से अधिक KGBVs में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को शत-प्रतिशत निःशुल्क आवासीय सुविधा, पौष्टिक भोजन, वर्दी, पुस्तकें, और उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। इस कदम ने 14 से 18 वर्ष की उस नाजुक उम्र में बालिकाओं के ड्रॉप-आउट को लगभग समाप्त कर दिया है, जब बाल विवाह या घरेलू श्रम का दबाव सबसे अधिक होता है।

(B) रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण

विद्यालयीन छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाने के लिए कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' के तहत ताइक्वांडो, कराटे और जूडो का 3 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक छात्राएं इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे शालाओं में बालिकाओं की नियमित उपस्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी निर्भीकता में प्रत्यक्ष सुधार देखा गया है।

(C) मासिक धर्म स्वच्छता एवं गरिमा (Menstrual Hygiene Management)

अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि किशोरावस्था में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण स्कूलों में शौचालय का न होना या पानी का अभाव है। समग्र शिक्षा के तहत सभी माध्यमिक कन्या शालाओं और सह-शिक्षा शालाओं में पृथक क्रियाशील शौचालय, रनिंग वाटर, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और उपयोग किए गए पैड्स के पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण हेतु इंसीनरेटर (Incinerators) स्थापित किए गए हैं।

तालिका 2: छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित प्रमुख संकेतकों में प्रगति (2018-19 बनाम 2023-24)

सूचक / पैरामीटर	2018-19 (योजना प्रारंभ)	2023-24 (वर्तमान स्थिति)	प्रगति / दिशा
जेंडर पैरिटी इंडेक्स - प्राथमिक (GPI Primary)	0.98	1.02	बालिकाओं का अनुपात बालकों से अधिक
जेंडर पैरिटी इंडेक्स - माध्यमिक (GPI Secondary)	0.94	0.99	लैंगिक समानता के निकट
माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की ड्रॉप-आउट दर (%)	19.8%	11.4%	8.4% की महत्वपूर्ण गिरावट
उच्चिकृत KGBVs की कुल संख्या (कक्षा 12 तक)	18	104	व्यापक आवासीय विस्तार
आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या	85,000	3,20,000+	लगभग 4 गुना वृद्धि

5.7 विषय 7: समग्र शिक्षा योजना के वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन

वित्तीय प्रबंधन किसी भी सार्वजनिक नीति का तंत्रिका-तंत्र (Nervous System) होता है। समग्र शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसमें सामान्य राज्यों हेतु केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान 60:40 के अनुपात में निर्धारित है। योजना का संपूर्ण वित्तीय ढांचा 'परिणाम-आधारित बजटिंग' (Outcome-based Budgeting) पर आधारित है।

छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुजरती है:

- AWP&B का निर्माण:** प्रत्येक वर्ष क्लस्टर और ब्लॉक स्तर से स्कूल विकास योजनाओं का संकलन कर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा 'वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट' (AWP&B) तैयार किया जाता है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) द्वारा गहन परीक्षण के बाद अनुमोदित किया जाता है।
- वित्तीय प्रवाह और SNA प्रणाली:** पूर्ववर्ती व्यवस्था में वित्तीय वर्ष के अंत तक धनराशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी रहती थी। भारत सरकार द्वारा लागू की गई **सिंगल नोडल एजेंसी (SNA)** और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) प्रणाली ने राज्य स्तर पर एक ही खाता निर्धारित किया है। अब जब कोई स्कूल वास्तव में खर्च करता है, तभी मुख्य खाते से राशि डेबिट होती है। इससे 'शून्य शेष' (Zero Balance Subsidy Account) सुनिश्चित हुआ है और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है।
- समग्र स्कूल कंपोजिट ग्रांट (Composite School Grant):** विद्यालयों को उनकी छात्र संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है:
 - 1 से 30 छात्र: ₹10,000 से ₹25,000
 - 31 से 100 छात्र: ₹25,000 से ₹50,000
 - 101 से 250 छात्र: ₹50,000 से ₹75,000
 - 250 से अधिक छात्र: ₹1,00,000 तक

वित्तीय प्रबंधन की मुख्य विसंगतियां: यद्यपि प्रणाली पारदर्शी हुई है, किंतु वित्तीय प्रवाह की समयबद्धता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार से प्रथम किश्त समय पर प्राप्त न होने अथवा राज्य सरकार द्वारा अपने 40% राज्यांश (State Share) को जारी करने में विलंब के कारण वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों (अप्रैल से सितंबर) में स्कूलों तक अनुदान नहीं पहुंच पाता। परिणामस्वरूप, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में आवश्यक मरम्मत, शिक्षण सामग्री की खरीद और खेल गतिविधियां रुक जाती हैं। जनवरी से मार्च की अंतिम तिमाही में धनराशि की भारी अवमुक्ति से योजनाओं में औपचारिकता और हड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न होती है।

तालिका 3: छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा वित्तीय आवंटन एवं व्यय प्रवृत्तियां (विगत 4 वित्तीय वर्षों का विवरण)

वित्तीय वर्ष	PAB बजट (करोड़ रु.)	अवमुक्त कुल राशि (करोड़ रु.)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)	व्यय प्रतिशत (%)	अव्ययित शेष (%)
2020-21	2,450.80	1,820.40	1,510.60	82.9%	17.1%
2021-22	2,780.20	2,150.00	1,890.50	87.9%	12.1%
2022-23	3,120.50	2,640.80	2,380.20	90.1%	9.9%
2023-24	3,450.00	3,020.10	2,785.40	92.2%	7.8%

5.8 विषय 8: समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षण सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल चारदीवारी और शिक्षकों से संभव नहीं है; इसके लिए प्रासंगिक, आकर्षक और आयु-अनुरूप शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) तथा समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। समग्र शिक्षा योजना ने स्कूलों में संसाधन विपुलता (Resource Rich Environment) निर्मित करने के लिए कई हस्तक्षेप किए हैं:

- **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण:** कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 की आरक्षित वर्ग की छात्राओं को सत्रारंभ पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और दो जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान की जाती हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित ये पुस्तकें छात्रों तक पहुंचाई जाती हैं।
- **पुस्तकालय अनुदान (Library Grant):** प्राथमिक विद्यालयों को ₹5,000, उच्च प्राथमिक को ₹13,000, माध्यमिक को ₹10,000 और उच्च माध्यमिक शालाओं को ₹20,000 तक का वार्षिक पुस्तकालय अनुदान दिया जाता है। इसके तहत 'रीडिंग कॉर्नर' (Reading Corners) बनाए गए हैं, जहां एनबीटी (NBT) और सीबीटी (CBT) की बाल साहित्य पुस्तकें रखी जाती हैं ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत (Reading Habit) विकसित हो।
- **जादुई पिटारा एवं खिलौना आधारित शिक्षा:** 3 से 8 वर्ष के बच्चों हेतु 'जादुई पिटारा' किट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें लकड़ी के खिलौने, पहेलियां, प्लैश कार्ड, मुखौटे और चित्र पुस्तकें शामिल हैं।
- **विज्ञान एवं गणित किट (NCERT Kits):** माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक अधिगम हेतु मानक किट वितरित की गई हैं।

गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन: फील्ड स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता में दो बड़ी कमियां पाई गई हैं। प्रथम, पाठ्यपुस्तकों का वितरण कई दूरदराज के विकासखंडों में सत्र प्रारंभ होने के दो से तीन महीने बाद तक खिंच जाता है, जिससे शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बाधित होती है। द्वितीय, विज्ञान और गणित किटों का उपयोग बहुत सीमित है। शिक्षक प्रशिक्षण में इन किटों के प्रयोग का व्यावहारिक अभ्यास न होने के कारण शिक्षक इन्हें टूटने-फूटने के डर से अलमारियों में सुरक्षित बंद रखते हैं। संसाधनों का भौतिक रूप से उपलब्ध होना उनके शैक्षणिक उपयोग की गारंटी नहीं बन पाता।

5.9 विषय 9: समग्र शिक्षा योजना में बुनियादी सुविधाओं का योगदान: एक विश्लेषण

भौतिक वातावरण बच्चे के मानसिक विकास, स्वास्थ्य और स्कूल में ठहराव को सीधे प्रभावित करता है। समग्र शिक्षा अभियान ने बुनियादी अवसंरचना के मानकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। योजना के तहत स्कूल अधोसंरचना को निम्नलिखित प्रमुख आयामों में उन्नत किया गया है:

तालिका 4: छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति (UDISE+ तुलनात्मक डेटा)

बुनियादी सुविधा का प्रकार	2018-19 में उपलब्धता (%)	2023-24 में उपलब्धता (%)	मौजूदा प्रमुख चुनौतियाँ
पक्का सुरक्षित स्कूल भवन	82.4%	93.8%	वनांचल व पहाड़ी क्षेत्रों में सीलन व जीर्ण-शीर्णता
क्रियाशील पृथक बालिका शौचालय	88.1%	97.2%	जल आपूर्ति का अभाव, नियमित सफाई कर्मों का न होना
सुरक्षित पेयजल (नल से जल / RO)	84.5%	95.6%	प्लोराइड/आयरन प्रभावित क्षेत्रों में शुद्धिकरण की समस्या
विद्युतीकरण (बिजली कनेक्शन)	52.3%	76.8%	सुदूर वनांचल के लगभग 23% स्कूलों में बिजली का अभाव
दिव्यांग सुगम्यता (Ramps & Handrails)	61.2%	84.5%	अमानक ढलान, सुगम्य शौचालयों (Accessible Toilets) की कमी
सुरक्षित चारदीवारी (Boundary Wall)	58.0%	71.4%	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सीमांकन विवाद व पशुओं का प्रवेश

बुनियादी सुविधाओं के इस विस्तार ने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्राथमिक नामांकन और बालिकाओं की उपस्थिति को टिकाऊ बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। तथापि, बुनियादी सुविधाओं का 'रखरखाव' (Maintenance) सबसे कमजोर कड़ी है। समग्र स्कूल कंपोजिट ग्रांट का एक बड़ा हिस्सा छोटे-मोटे खर्चों में समाप्त हो जाता है, जिससे भवनों की वार्षिक पुताई, छतों की वॉटरप्रूफिंग और टूटे शौचालयों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि नहीं बचती। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों (Sweepers/Sanitation Staff) के नियमित पद न होने के कारण शौचालय निर्मित होने के बाद भी स्वच्छता के अभाव में अक्रियाशील हो जाते हैं।

5.10 विषय 10: छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा योजना की सफलता के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता

समग्र शिक्षा योजना की सफलता केवल बजट खर्च करने या भवन बनाने से नहीं आंकी जा सकती। इसके मूल लक्ष्यों—समानता, गुणवत्ता और आजीवन शिक्षण—को छत्तीसगढ़ की विषम सामाजिक-भौगोलिक परिस्थितियों में साकार करने हेतु निम्नलिखित व्यापक नीतिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है:

1. शिक्षक युक्तिकरण एवं स्थायी ग्रामीण सेवा नीति

राज्य में वर्तमान में 'कृत्रिम शिक्षक संकट' है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे मैदानी जिलों तथा शहरी संकुलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक (Surplus Teachers) पदस्थ हैं, जबकि बस्तर, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर के सैकड़ों स्कूल एकल-शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। राज्य को एक पारदर्शी, डिजिटल और कठोर 'शिक्षक युक्तिकरण नीति' (Teacher Rationalization Policy) लागू करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए अपने सेवाकाल में कम से कम 5 से 7 वर्ष सुदूर वनांचल या पिछड़े विकासखंड में सेवा देना अनिवार्य हो। कठिन क्षेत्रों में सेवा देने वाले शिक्षकों को विशेष 'दुर्गम क्षेत्र भत्ता' (Hardship Allowance) और आवास सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

2. जनजातीय भाषाओं में द्विभाषी प्रारंभिक शिक्षा का वैधानिक अधिदेश

NEP 2020 की संस्तुति के अनुसार कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन को बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय बोली जानने वाले स्थानीय युवाओं को 'स्थानीय शिक्षक संवर्ग' में नियुक्त करना चाहिए। SCERT द्वारा तैयार द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों को केवल पूरक सामग्री न मानकर मुख्य पाठ्यक्रम सामग्री बनाया जाना चाहिए।

3. स्कूल संकुल (School Complex) प्रणाली का संस्थागत क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 20 से भी कम है। ऐसे अत्यंत छोटे विद्यालयों में सभी बुनियादी सुविधाएं और विषय-शिक्षक उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है। नीति आयोग और NEP 2020 के सुझाव के अनुसार, 5 से 8

किलोमीटर के दायरे में एक बड़े 'स्कूल कॉम्प्लेक्स' की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें सभी छोटे स्कूल शैक्षणिक और प्रशासनिक रूप से जुड़े हों। छोटे स्कूलों के बच्चों को बड़े केंद्र तक लाने के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन (स्कूल बस या वैन) की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। इससे प्रयोगशाला, खेल मैदान, कंप्यूटर लैब और कला-संगीत शिक्षकों के संसाधनों का साझा उपयोग संभव हो सकेगा।

4. वित्तीय विकेंद्रीकरण एवं बजटीय लचीलापन

केंद्र और राज्य के कड़े वित्तीय दिशा-निर्देशों में संशोधन कर जिला और ब्लॉक स्तर पर बजटीय लचीलापन (Financial Flexibility) दिया जाना चाहिए। बस्तर की आवश्यकताएं रायपुर से पूरी तरह भिन्न हैं। अतः जिला स्तर पर 'अनटाइड फंड' (Untied Quality Funds) का प्रावधान हो, जिसका उपयोग जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय आपात जरूरतों (जैसे नाव से स्कूल आने वाले बच्चों के लिए लाइफ जैकेट, सौर ऊर्जा संयंत्र, स्थानीय भाषा शिक्षण किट) के लिए कर सकें।

5. व्यावसायिक शिक्षा का स्थानीय आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र से एकीकरण

कक्षा 9 से 12 तक दी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा को केवल बाहरी कॉरपोरेट ट्रेडों (जैसे रिटेल या ऑटोमोबाइल) तक सीमित न रखा जाए। छत्तीसगढ़ एक खनिज, वनोपज और हस्तशिल्प समृद्ध राज्य है। वोकेशनल शिक्षा को स्थानीय संभावनाओं—जैसे कोसा रेशम बुनाई, बेल मेटल (ढोकरा शिल्प), लाख और चिरौंजी प्रसंस्करण, औषधीय पौधों की खेती, सौर ऊर्जा रखरखाव, तथा स्थानीय पर्यटन गाइड प्रशिक्षण—से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि स्कूली शिक्षा पूर्ण करते ही स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो सके।

6. तुलनात्मक मूल्यांकन: छत्तीसगढ़ बनाम अन्य प्रमुख राज्य (Comparative Analysis)

समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEI) और UDISE+ डेटा के आधार पर अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रासंगिक है:

तालिका 5: विद्यालयी शिक्षा संकेतकों में छत्तीसगढ़ एवं पड़ोसी/समान राज्यों का तुलनात्मक विश्लेषण

राज्य का नाम	प्राथमिक GER (%)	माध्यमिक ड्रॉप-आउट दर (%)	विद्युत एवं आई.सी.टी. प्रयोगशाला सुविधा (%)	PGI रैंकिंग श्रेणी	विशेष शक्ति / नवाचार
छत्तीसगढ़	97.6%	13.8%	48.5%	आकांक्षी-1 (Aspirant-1)	पोटा केबिन, स्वामी आत्मानंद स्कूल, मोहल्ला क्लास
मध्य प्रदेश	96.2%	16.2%	52.0%	आकांक्षी-1 (Aspirant-1)	सीएम राइज स्कूल (CM RISE), डिजिटल दीक्षा
ओडिशा	98.1%	12.5%	44.2%	प्रचेष्टा-2 (Prachesta-2)	5T हाई स्कूल रूपांतरण, बहुभाषी आदिवासी शिक्षा
राजस्थान	99.4%	10.2%	78.4%	प्रचेष्टा-1 (Prachesta-1)	महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल, शाला दर्पण पोर्टल
केरल (राष्ट्रीय मानक)	99.8%	1.2%	98.6%	दक्ष (Daksha - शीर्ष श्रेणी)	शत-प्रतिशत हाई-टेक क्लासरूम, शून्य ड्रॉप-आउट

तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ ने प्राथमिक नामांकन और नवाचारी मॉडलों (जैसे पोटा केबिन और आत्मानंद स्कूल) में पड़ोसी राज्यों की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। किंतु जब बात माध्यमिक ड्रॉप-आउट को न्यूनतम करने तथा स्कूलों में विद्युतीकरण और आईसीटी बुनियादी ढांचे के प्रसार की आती है, तो राजस्थान और केरल जैसे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ काफी पीछे छूट जाता है। इसका मुख्य कारण राज्य का 44% वन क्षेत्र और दुर्गम भौगोलिक बस्तियां हैं।

7. आलोचनात्मक विमर्श एवं संरचनात्मक विसंगतियां (Critical Discussions & Gaps)

समग्र शिक्षा योजना के पांच वर्षों से अधिक के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए शोध अध्ययन निम्नलिखित गंभीर संरचनात्मक विसंगतियों को रेखांकित करता है:

7.1 'डेटा का औपचारिकीकरण' बनाम 'वास्तविक अधिगम'

प्रशासनिक स्तर पर यू-डायस (UDISE+) और विभिन्न राज्य पोर्टलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का डेटा दर्ज करने का अत्यधिक दबाव रहता है। इसके कारण जमीनी स्तर पर डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। उदाहरण के लिए, कागजों पर 97% स्कूलों में क्रियाशील शौचालय दर्ज हैं, किंतु स्वतंत्र अध्ययनों में पाया गया कि इनमें से एक-तिहाई शौचालयों में पानी का कनेक्शन नहीं है या वे गंदगी के कारण बंद पड़े हैं। इसी प्रकार, उपचारात्मक कक्षाओं की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, किंतु छात्रों के पढ़ने और गिनने की बुनियादी क्षमता में वांछित सुधार परिलक्षित नहीं होता।

7.2 प्रशासनिक समन्वय का अभाव

यद्यपि समग्र शिक्षा ने SSA और RMSA का विलय कर दिया, किंतु स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग (Tribal Welfare Department) के बीच प्रशासनिक समन्वय का संकट आज भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल जिलों में सैकड़ों प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल और आश्रम-छात्रावास आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित होते हैं, जबकि उनका शैक्षणिक पाठ्यक्रम समग्र शिक्षा (स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा निर्धारित होता है। इस दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था (Dual Control System) के कारण शिक्षकों के स्थानांतरण, छात्रावासों के रखरखाव और शिक्षण सामग्री के वितरण में गंभीर प्रशासनिक शिथिलता उत्पन्न होती है।

7.3 स्वामी आत्मानंद स्कूलों का अभिजात्य प्रभाव

छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूलों की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम रही है, जिसने शासकीय शिक्षा की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है। किंतु नीतिगत विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के सीमित वित्तीय और मानव संसाधनों का एक असंगत रूप से बड़ा हिस्सा इन चुनिंदा 700-800 स्कूलों में केंद्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के शेष 50,000 से अधिक सामान्य ग्रामीण शासकीय विद्यालय उपेक्षा और संसाधनहीनता के शिकार हो रहे हैं। समग्र शिक्षा का लक्ष्य 'सभी स्कूलों की समग्र उन्नति' है, न कि कुछ विशिष्ट 'शोकेस' स्कूलों का निर्माण।

8. रणनीतिक अनुशंसाएं एवं भावी रोडमैप (Strategic Recommendations & Roadmap)

छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा योजना को उसके सर्वांगीण स्वरूप में सफल बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को धरातल पर उतारने हेतु शोध अध्ययन निम्नलिखित त्रिपक्षीय कार्ययोजना (Tripartite Strategic Action Plan) प्रस्तुत करता है:

8.1 अल्पकालिक रणनीतियां (1 से 2 वर्ष)

- मिशन मोड में शिक्षक युक्तिकरण:** सॉफ्टवेयर-आधारित पारदर्शी काउंसलिंग द्वारा शहरी संकुलों से अतिरिक्त शिक्षकों को रिक्त पदों वाले ग्रामीण और वनांचल विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए।
- शत-प्रतिशत विद्यालयीन स्वच्छता एवं जल आपूर्ति:** जल जीवन मिशन के समन्वय से प्रत्येक स्कूल में रनिंग वाटर सुनिश्चित किया जाए तथा ग्राम पंचायतों को स्कूलों की दैनिक सफाई के लिए विशिष्ट बजट आवंटित किया जाए।
- फाउंडेशनल FLN पर विशेष संकेन्द्रण:** कक्षा 1 से 3 के लिए निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक दायित्वों से 100% मुक्त रखा जाए और केवल भाषाई व गणितीय दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

8.2 मध्यमकालिक रणनीतियां (3 से 5 वर्ष)

- वनांचल में ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा क्रांति:** ग्रिड बिजली की प्रतीक्षा किए बिना बस्तर और सरगुजा के सभी अविद्युतीकृत स्कूलों में 2 kW से 5 kW के ऑफ-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम स्थापित किए जाएं, ताकि स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर निरंतर चल सकें।
- बहुभाषी शिक्षण (MLE) का संस्थागत विस्तार:** बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय बोलियों में प्रारंभिक पठन सामग्री का 100% कवरेज और स्थानीय द्विभाषी शिक्षा सहायकों की नियुक्ति।
- स्कूल संकुल (School Complex) नेटवर्क का निर्माण:** प्रत्येक क्लस्टर में एक मॉडल स्कूल संकुल तैयार कर वहां से संबद्ध छोटे स्कूलों को प्रयोगशाला, खेल और पुस्तकालय संसाधनों की साझा सुविधा प्रदान की जाए।

8.3 दीर्घकालिक रणनीतियां (5 वर्ष से अधिक)

- शिक्षा प्रशासन का पूर्ण एकीकरण:** आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों को एक ही प्रशासनिक और बजटीय नियंत्रण (समग्र शिक्षा मिशन) के अधीन लाया जाए।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी व्यावसायिक शिक्षा:** कक्षा 9 से 12 तक के वोकेशनल पाठ्यक्रमों को छत्तीसगढ़ के कृषि, वनोपज, धातु शिल्प और सौर ऊर्जा उद्योगों से 100% समन्वित किया जाए।
- सतत तृतीय-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन:** केवल विभागीय रिपोर्टों पर निर्भर न रहकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के माध्यम से सीखने के प्रतिफलों और बुनियादी ढांचे का वार्षिक सोशल ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

9. उपसंहार एवं निष्कर्ष (Conclusion)

समग्र शिक्षा अभियान स्वतंत्र भारत के शैक्षिक इतिहास में विद्यालयी शिक्षा के पुनर्गठन का सर्वाधिक दूरदर्शी, व्यावहारिक और एकीकृत नीतिगत प्रयास है। इसने विद्यालयी शिक्षा को टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित देखने की औपनिवेशिक और प्रशासनिक संकीर्णता को समाप्त कर प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक एक अविभाज्य जीवन-सातत्य के रूप में पुनर्स्थापित किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में इस योजना का महत्व राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक गहरा और युगांतकारी है। राज्य की 32% जनजातीय आबादी, भौगोलिक रूप से दुर्गम वनांचल, और दशकों पुराना आंतरिक संघर्ष शिक्षा के मार्ग में ऐतिहासिक रूप से दुर्लभ बाधाएं खड़ी करता रहा है। इन परिस्थितियों में समग्र शिक्षा ने पोटा केबिन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, निपुण भारत, डिजिटल दीक्षा और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से राज्य के अंतिम छोर पर खड़े बच्चे तक शिक्षा की ज्योति पहुंचाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसने प्राथमिक स्तर पर लैंगिक समानता (GPI > 1.0) और 97% से अधिक सकल नामांकन अनुपात स्थापित कर यह सिद्ध किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीतिगत समन्वय से जटिलतम बाधाओं को भी पार किया जा सकता है।

तथापि, इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती अब भौतिक पहुंच से आगे बढ़कर 'वास्तविक सीखने की गुणवत्ता' (Learning Quality) और 'न्यायपूर्ण समता' (Equitable Inclusivity) को सुनिश्चित करने की है। जब तक बस्तर और सरगुजा के वनांचल स्कूलों में योग्य विषय-शिक्षकों की स्थायी उपस्थिति नहीं होगी, जब तक जनजातीय बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, और जब तक ग्रामीण स्कूलों की डिजिटल खाई को सौर ऊर्जा व मजबूत कनेक्टिविटी से नहीं पाटा जाएगा—तब तक समग्र शिक्षा की परिकल्पना अपने पूर्ण अर्थों में साकार नहीं हो सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शक सिद्धांतों और समग्र शिक्षा 2.0 के एकीकृत संसाधनों के संगम से छत्तीसगढ़ के पास यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह अपनी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संपदा को आधुनिक वैज्ञानिक चेतना के साथ जोड़कर एक समतामूलक, समृद्ध और ज्ञान-आधारित समाज की रचना करे। समग्र शिक्षा योजना इस युगांतकारी रूपांतरण का सबसे शक्तिशाली और प्रामाणिक संवाहक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Scholarly References)

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2018). समग्र शिक्षा: विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना - कार्यान्वयन रूपरेखा (*Framework for Implementation*). स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली.
2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (*NEP 2020*). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2021). समग्र शिक्षा 2.0: संशोधित परिचालन दिशा-निर्देश (*Operational Guidelines 2021-2026*). स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली.
4. छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग. (2022). समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं कार्ययोजना (2021-2024). समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़.
5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2021). राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (*National Achievement Survey - NAS 2021*) रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ राज्य परिदृश्य. NCERT, नई दिल्ली.
6. नीति आयोग. (2019). स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (*SECI*): राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का व्यापक मूल्यांकन. नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली.
7. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन. (2022-2024). वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (*ASER - Annual Status of Education Report*) - ग्रामीण. प्रथम रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली.
8. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. (2023). यू-डायस प्लस (*UDISE+ 2022-23*) रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ राज्य सांख्यिकी एवं विश्लेषण. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
9. यूनिसेफ (UNICEF) एवं एससीईआरटी छत्तीसगढ़. (2021). छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में बहुभाषी शिक्षण (*Multilingual Education*) की प्रभावकारिता का अध्ययन. यूनिसेफ फील्ड ऑफिस, रायपुर.
10. तिलक, जे. बी. जी. (2020). भारत में शिक्षा का वित्तपोषण: चुनौतियाँ और नीतिगत अनिवार्यताएँ. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (JEPA)*, 34(2), 115-138.
11. गोविंदा, आर., एवं बंधोपाध्याय, एम. (2019). भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण: पहुंच से सीखने की गुणवत्ता की ओर एक कठिन यात्रा. *ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*, नई दिल्ली.
12. योजना आयोग / नीति आयोग. (2018). वामपंथी उग्रवाद (*LWE*) प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की पहुंच: बस्तर संभाग का केस स्टडी. भारत सरकार, नई दिल्ली.
13. Dreze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. Princeton University Press.
14. Ministry of Education. (2021). *NIPUN BHARAT: National Mission on Foundational Literacy and Numeracy - Guidelines for Implementation*. Government of India, New Delhi.
15. UNESCO. (2021). *No Teacher, No Class: State of the Education Report for India 2021*. UNESCO New Delhi Office.

● 0% Overall Similarity

NO MATCHES FOUND

This submission did not match any of the content we compared it against.